

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 3(2)गृह-1/2019

जयपुर, दिनांक:-02.06.2020

आज्ञा

डॉ० प्रशाखा माथुर, आईपीएस, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज० जयपुर को दिनांक 30.05.2020 से 27.08.2020 तक (दिनांक 28-30.08.2020 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) 90 दिवस का चाईल्ड केयर लीव कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2(4)कार्मिक/क-1/1998, दिनांक 26.05.2020 के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अतः इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.04.2020 की निरन्तरता में उक्त अवधि के लिए निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक निदेशक का कार्यभार डॉ० अजय शर्मा, अति० निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर को एतद् द्वारा प्रदान किया जाता है।

आज्ञा से,

r sdr

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह/ शासन सचिव, गृह विभाग, राज, जयपुर।
2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज० जयपुर।
3. डॉ० प्रशाखा माथुर, आई.पी.एस.
4. डॉ० अजय शर्मा, अति० निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर।
5. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

2008
26/2020

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस